कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1469 भोपाल, दिनांक 10/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी→
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक→ अनूपपुर
जिला- अनूपपुर, मध्यप्रदेश

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1470 भोपाल, दिनांक 10/05/ 2019
प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1467 भोपाल, दिनांक 10/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी→
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक→ उमरिया
जिला- उमरिया, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल-2 /2019/1468 भोपाल, दिनांक/0/05/ 2019

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम. आई. एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1465 भोपाल, दिनांक 10/05/ 2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी→
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक→शहडोल
जिला–शहडोल, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

7 अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावें? इस संबध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1466 भोपाल, दिनांक 10/05/ 2019

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.सं.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम. आई. एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1463 भोपाल, दिनांक 10/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी→
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक→ सिंगरौली,
जिला– सिंगरौली, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयांतर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1464 भोपाल, दिनांक 10/05/ 2019

प्रतिलिपि :—

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1461 भोपाल, दिनांक 10/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी→
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक→ सीधी,
जिला– सीधी, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयांतर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर........02

7 अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/(शिका)/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1462 भोपाल, दिनांक 10/05/ 2019

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम. आई. एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1459 भोपाल, दिनांक 10/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी->
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक->सतना
जिला-सतना, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा हैं। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

7 अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1460 भोपाल, दिनांक 10/05/ 2019
प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम. आई. एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1457 भोपाल, दिनांक 10/05/2019
प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी→
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक→ रीवा,
जिला– रीवा, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1458 भोपाल, दिनांक 10/05/ 2019

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1455 भोपाल, दिनांक 10/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी→ अनूपपुर
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक→
जिला– अनूपपुर, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क्र./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क्र./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क्र./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क्र./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क्र./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क्र./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क्र. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर..........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(हस्ताक्षर)
(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1456 भोपाल, दिनांक 10/05/ 2019
प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम. आई. एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

(हस्ताक्षर)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1453 भोपाल, दिनांक 10/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-> उमरिया,
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक->
जिला- उमरिया, मध्यप्रदेश।

विषय- सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.-टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ-1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.-टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/- (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.-टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1454 भोपाल, दिनांक 10/05/ 2019
प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1451 भोपाल, दिनांक 10/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-> शहडोल
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक->
जिला- शहडोल, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क्र./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क्र./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क्र./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क्र./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क्र./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क्र./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क्र. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1452 भोपाल, दिनांक 10/05/ 2019
प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम. आई. एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1449 भोपाल, दिनांक 10/05/ 2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-> सिंगरौली,
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक->
जिला- सिंगरौली, मध्यप्रदेश।

विषय- सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.-टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ-1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क्र. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.-टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/- (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.-टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल-2 /2019/1450 भोपाल, दिनांक 10/05/ 2019
प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.पं.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1447 भोपाल, दिनांक 10/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-> सीधी,
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक->
जिला- सीधी, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरो को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1448 भोपाल, दिनांक 10/05/ 2019

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1445 भोपाल, दिनांक 10/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-> सतना,
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक->
जिला- सतना, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा हैं। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

7 अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1446 भोपाल, दिनांक 10/05/ 2019
प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./ सेल.2 /2019/ 1443 भोपाल, दिनांक 10/05/ 2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी→रीवा,
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक→
जिला–रीवा, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1444 भोपाल, दिनांक 10/05/ 2019
प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम. आई. एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1439 भोपाल, दिनांक10/5/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी->
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक-> सिवनी,
जिला- सिवनी, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/ 1440 भोपाल, दिनांक 10/5/ 2019
प्रतिलिपि :—

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम. आई. एस. सेल. स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1437 भोपाल, दिनांक 10/5/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी→
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक→ नरसिंहपुर
जिला– नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

7 अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/ 1438 भोपाल, दिनांक 10/5/ 2019

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1435 भोपाल, दिनांक 10/5/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी→
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक→ मण्डला।
जिला– मण्डला, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/ 1436 भोपाल, दिनांक 10/5 / 2019

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/ 1434 भोपाल, दिनांक 10/5/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी→
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक→ कटनी,
जिला– कटनी, मध्यप्रदेश।

विषय-- सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/ भोपाल, दिनांक / / 2019

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम. आई. एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1432 भोपाल, दिनांक 10/5/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी->
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक-> जबलपुर
जिला- जबलपुर, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क्र. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

7 अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावें? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1433 भोपाल, दिनांक10/5 / 2019
प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1430 भोपाल, दिनांक 10/5/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक डिण्डोरी,
जिला- डिण्डोरी, मध्यप्रदेश

विषय— सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ—1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

7. अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल-2 /2019/ 1431 भोपाल, दिनांक 10/5/ 2019

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1428 भोपाल, दिनांक 10/5/2019
प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी->
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक-> छिन्दवाड़ा
जिला– छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/ 1429 भोपाल, दिनांक 10/5/ 2019

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1426 भोपाल, दिनांक 10/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक
जिला-

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1427 भोपाल, दिनांक 10/05/ 2019
प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/विक्रा/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1424 भोपाल, दिनांक 10/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-> सिवनी
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक->
जिला- सिवनी, मध्यप्रदेश।

विषय- सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.-टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ-1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.-टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/- (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.-टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1425 भोपाल, दिनांक 10/05/ 2019
प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1422 भोपाल, दिनांक 10/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी→ नरसिंहपुर
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक→
जिला– नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1423 भोपाल, दिनांक 10/05/ 2019

प्रतिलिपि :—

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम. आई. एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1420 भोपाल, दिनांक 10/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-> मण्डला
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक->
जिला- मण्डला, मध्यप्रदेश।

विषय- सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.-टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ-1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.-टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/- (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.-टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1421 भोपाल, दिनांक 10/05/2019

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम. आई. एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1418 भोपाल, दिनांक 10/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी→ कटनी,
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक→
जिला– कटनी, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1419 भोपाल, दिनांक 10/05/ 2019

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1416 भोपाल, दिनांक 10/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-> जबलपुर
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक->
जिला- जबलपुर, मध्यप्रदेश।

विषय- सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.-टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ-1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.-टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/- (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.-टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल-2 /2019/1417 भोपाल, दिनांक 10/05/ 2019
प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम. आई. एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1414 भोपाल, दिनांक 10/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी→ डिण्डोरी
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक→
जिला– डिण्डोरी, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल-2 /2019/1415 भोपाल, दिनांक 10/05/ 2019

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम. आई. एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1412 भोपाल, दिनांक 10/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी→ छिन्दवाड़ा,
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक→
जिला– छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क्र. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1413 भोपाल, दिनांक 10/05/ 2019
प्रतिलिपि :—

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम. आई. एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1410 भोपाल, दिनांक 10/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी→बालाघाट,
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक→
जिला–बालाघाट, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1587/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर..........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1411 भोपाल, दिनांक 10/05/ 2019

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1401 भोपाल, दिनांक 29/05/ 2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी->
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक-> छतरपुर
जिला- छतरपुर, मध्यप्रदेश

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

7 अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1402 भोपाल, दिनांक 09/05/2019

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम. आई. एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1399 भोपाल, दिनांक 09/05/ 2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी->
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक-> पन्ना,
जिला- पन्ना, मध्यप्रदेश

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क्र./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क्र./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क्र./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क्र./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क्र./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क्र./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क्र. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1400 भोपाल, दिनांक09/05/ 2019

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम. आई. एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1397 भोपाल, दिनांक 09/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी→
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक→ टीकमगढ़
जिला– टीकमगढ़, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई हैं जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1398 भोपाल, दिनांक 17/05/ 2019
प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम. आई. एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1395 भोपाल, दिनांक 09/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी→
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक→ दमोह
जिला– दमोह, मध्यप्रदेश

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर..........02..

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1396 भोपाल, दिनांक 09/05/ 2019
प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1393 भोपाल, दिनांक 29/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी->
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक-> सागर
जिला-सागर, मध्यप्रदेश

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क्र. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1394 भोपाल, दिनांक 09/05/ 2019

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम. आई. एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1391 भोपाल, दिनांक 09/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-> छतरपुर
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक->
जिला-छतरपुर, मध्यप्रदेश

विषय- सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.-टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ-1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.-टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/- (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.-टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1392 भोपाल, दिनांक 09/05/2019

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1389 भोपाल, दिनांक 09/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-> पन्ना
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक->
जिला- पन्ना, मध्यप्रदेश

विषय- सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.-टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ-1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.-टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/- (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.-टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर..........02

7 अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1390 भोपाल, दिनांक 09/05/ 2019
प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम. आई. एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1387 भोपाल, दिनांक 09/05/ 2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-> टीकमगढ़
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक->
जिला- टीकमगढ़, मध्यप्रदेश

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.--टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर..........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1388 भोपाल, दिनांक 09/05/ 2019

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम. आई. एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1385 भोपाल, दिनांक 09/05/ 2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी→दमोह
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक→
जिला–दमोह, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1386 भोपाल, दिनांक 09/05/ 2019

प्रतिलिपि :—

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम. आई. एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1383 भोपाल, दिनांक09/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-> आगर
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक->
जिला- आगर, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करनें तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल-2 /2019/1384 भोपाल, दिनांक 09/05/ 2019

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम. आई. एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1381 भोपाल, दिनांक 09/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी→
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक→ श्योपुर
जिला– श्योपुर, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर..........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1382 भोपाल, दिनांक 09/05/ 2019

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1379 भोपाल, दिनांक 09/05/ 2019
प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी→
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक→ शिवपुरी,
जिला- शिवपुरी, मध्यप्रदेश।

विषय- सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.-टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ-1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.-टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/- (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.-टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावें? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1380 भोपाल, दिनांक09/05/ 2019

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1377 भोपाल, दिनांक 29/05/ 2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक मुरैना,
जिला-मुरैना, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1378 भोपाल, दिनांक 09/05/ 2019

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1375 भोपाल, दिनांक 09/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक गुना,
जिला-- गुना, मध्यप्रदेश।।

विषय— सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ—1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

7 अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1376 भोपाल, दिनांक 29/05/ 2019

प्रतिलिपि :—

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1373 भोपाल, दिनांक 09/05/ 2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक दतिया,
जिला–दतिया, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जना नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क्र. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर..........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावें? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(हस्ताक्षर) 4/5

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1374 भोपाल, दिनांक 09/05/ 2019

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम. आई. एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

(हस्ताक्षर) 4/5

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1371 भोपाल, दिनांक 09/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी→
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक→ भिण्ड,
जिला– भिण्ड, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ– 1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1372 भोपाल, दिनांक 09/05/ 2019

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1369 भोपाल, दिनांक 09/05/2019
प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी->
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक-> अशोकनगर
जिला- अशोकनगर मध्यप्रदेश।

विषय- सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.-टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ-1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.-टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/- (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.-टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1370 भोपाल, दिनांक 09/05/ 2019

प्रतिलिपि :—

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1367 भोपाल, दिनांक 09/05/ 2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी->
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक-> ग्वालियर
जिला- ग्वालियर, मध्यप्रदेश।

विषय- सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.-टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ-1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.-टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च्य प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/- (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.-टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर..........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1368 भोपाल, दिनांक 29/05/ 2019
प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1365 भोपाल, दिनांक 09/05/ 2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-> श्योपुर
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक->
जिला-श्योपुर मध्यप्रदेश

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर..........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1366 भोपाल, दिनांक 09/05/ 2019

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1363 भोपाल, दिनांक 29/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी→ शिवपुरी,
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक→
जिला– शिवपुरी, मध्यप्रदेश

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1364 भोपाल, दिनांक 09/05/ 2019

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1361 भोपाल, दिनांक 29/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-> मुरैना,
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक->
जिला- मुरैना, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1362 भोपाल, दिनांक 29/05/ 2019

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम. आई. एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1359 भोपाल, दिनांक 29/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी→ गुना,
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक→
जिला–गुना, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर..........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1360 भोपाल, दिनांक 09/05/ 2019
प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1357 भोपाल, दिनांक 09/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-> दतिया,
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक->
जिला- दतिया, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकनें की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1358 भोपाल, दिनांक 09/05/ 2019

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1355 भोपाल, दिनांक 09/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-> भिण्ड,
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक->
जिला- भिण्ड, मध्यप्रदेश

विषय- सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.-टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ-1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क्र. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.-टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/- (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.-टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/(शिका)/संचा. स्वा. से./सेल-2 /2019/1356 भोपाल, दिनांक 29/05/ 2019
प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1353 भोपाल, दिनांक 09/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी→ अशोकनगर
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक→
जिला– अशोक नगर, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर..........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1354 भोपाल, दिनांक 09/05/ 2019
प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1351 भोपाल, दिनांक 09/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-> ग्वालियर
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक->
जिला- ग्वालियर, मध्यप्रदेश

विषय- सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.-टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ-1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.-टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/-. (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान हैं। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.-टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1352 भोपाल, दिनांक 09/05/ 2019

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम. आई. एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1343 भोपाल, दिनांक 09/05/2019
प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी→
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक→आगर,
जिला– मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1344 भोपाल, दिनांक 09/05/ 2019

प्रतिलिपि :—

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1341 भोपाल, दिनांक 09/05/ 2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी->
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक-> नीमच
जिला- नीमच, मध्यप्रदेश।

विषय- सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.-टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ-1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क्र. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.-टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/- (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.-टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1342 भोपाल, दिनांक 09/05/ 2019
प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम. आई. एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1339 भोपाल, दिनांक 29/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी→
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक→ मंदसौर
जिला– मंदसौर, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र4/शिका1/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1340 भोपाल, दिनांक 09/05/ 2019

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिक्षा/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1337 भोपाल, दिनांक 09/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी→
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक→रतलाम
जिला–रतलाम, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1338 भोपाल, दिनांक 09/05/2019
प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम. आई. एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1335 भोपाल, दिनांक 09/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी→
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक→ शाजापुर,
जिला– शाजापुर, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयांतर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1336 भोपाल, दिनांक 09/05/2019

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1333 भोपाल, दिनांक 09/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी->
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक-> देवास
जिला- देवास, मध्यप्रदेश

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

9/5

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1334 भोपाल, दिनांक 09/05/ 2019
प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर।

9/5

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1331 भोपाल, दिनांक 09/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी→
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक→उज्जैन
जिला– उज्जैन, मध्यप्रदेश

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1647/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/(शिका)/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1332 भोपाल, दिनांक 09/05/ 2019
प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1329 भोपाल, दिनांक 09/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-> आगर,
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक->
जिला- आगर, मध्यप्रदेश।

विषय— सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ—1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1330 भोपाल, दिनांक 09/05/ 2019

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम. आई. एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1327 भोपाल, दिनांक 09/05/ 2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी→ भिण्ड
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक→
जिला– भिण्ड, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1328 भोपाल, दिनांक 09/05/ 2019

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1325 भोपाल, दिनांक 09/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी→ मंदसौर
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक→
जिला– मंदसौर, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(हस्ताक्षर) 4/5
(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1326 भोपाल, दिनांक 09/05/2019

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर।

(हस्ताक्षर) 4/5
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1323 भोपाल, दिनांक 29/05/ 2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी→ रतलाम
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक→
जिला-रतलाम, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फ़ाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(हस्ताक्षर) 4/5

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1324 भोपाल, दिनांक09/05/ 2019

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

(हस्ताक्षर) 4/5

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1321 भोपाल, दिनांक 09/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी → शाजापुर
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक →
जिला– शाजापुर, मध्यप्रदेश

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1322 भोपाल, दिनांक09/05/ 2019

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम. आई. एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1319 भोपाल, दिनांक 09/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-> देवास
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक->
जिला-देवास, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(हस्ताक्षर) 9/5

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका1/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1320 भोपाल, दिनांक 09/05/ 2019

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

(हस्ताक्षर) 9/5

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1317 भोपाल, दिनांक 09/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-> उज्जैन,
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक->
जिला- उज्जैन, मध्यप्रदेश

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/(शिका)/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1318 भोपाल, दिनांक 09/05/ 2019
प्रतिलिपि :—

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1312 भोपाल, दिनांक 08/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी→
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक→ बुरहानपुर
जिला–बुरहानपुर, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1313 भोपाल, दिनांक 08/05/ 2019

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1310 भोपाल, दिनांक 08/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी→
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक→ बड़वानी,
जिला- बड़वानी, मध्यप्रदेश

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य हैं तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर..........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/131 भोपाल, दिनांक 08/05/ 2019
प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1308 भोपाल, दिनांक 08/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी→
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक→ खण्डवा
जिला–खण्डवा, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता हैं।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1309 भोपाल, दिनांक 08/05/ 2019
प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1306 भोपाल, दिनांक 08/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी→
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक→ इन्दौर
जिला– इन्दौर, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क्र./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क्र./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क्र./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क्र./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क्र./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क्र./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क्र. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(हस्ताक्षर) 4/5

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/(शिका)/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1307 भोपाल, दिनांक 08/05/ 2019

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

(हस्ताक्षर) 5/5

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1304 भोपाल, दिनांक 08/05/ 2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी→
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक→ रायसेन
जिला– मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/भ.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1305 भोपाल, दिनांक 08/05/ 2019

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल. स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1302 भोपाल, दिनांक 08/05/2019
प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी→
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक→ झाबुआ
जिला– झाबुआ, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1303 भोपाल, दिनांक 08/05/ 2019

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1800 भोपाल, दिनांक 08/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी→
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक→ धार,
जिला– धार, मध्यप्रदेश

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1301 भोपाल, दिनांक 08/05/ 2019
प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल. स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1298 भोपाल, दिनांक08/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी→
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक→ अलीराजपुर
जिला–अलीराजपुर, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं बैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता हैं।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1299 भोपाल, दिनांक 08/05/ 2019

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1296 भोपाल, दिनांक 08/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी→बुरहानपुर
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक→
जिला–बुरहानपुर, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क्र. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र./शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1297 भोपाल, दिनांक 08/05/ 2019

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र. 4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1294 भोपाल, दिनांक 08/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-> छिंदवाड़ा
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक->
जिला- छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क्र./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल-2/2019/1295 भोपाल, दिनांक 08/05/2019

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1292 भोपाल, दिनांक 08/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-> धार
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक->
जिला- धार, मध्यप्रदेश।

विषय- सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.-टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ-1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.-टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/- (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.-टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1293 भोपाल, दिनांक 08/05/ 2019

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1290 भोपाल, दिनांक 08/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-> खण्डवा
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक->
जिला- खण्डवा, मध्यप्रदेश

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल-2/2019/1291 भोपाल, दिनांक 08/05/2019

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1288 भोपाल, दिनांक 08/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-> इन्दौर
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक->
जिला- इन्दौर, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप ड़ी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1289 भोपाल, दिनांक 08/05/ 2019

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1286 भोपाल, दिनांक 08/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-> खरगोन
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक->
जिला-खरगोन, मध्यप्रदेश

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क्र. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयांतर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1287 भोपाल, दिनांक 08/05/ 2019

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम. आई. एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1284 भोपाल, दिनांक 08/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-> झाबुआ
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक->
जिला- झाबुआ, मध्यप्रदेश

विषय- सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.-टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ-1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.-टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/- (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.-टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/(शिका)/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1285 भोपाल, दिनांक 08/05/ 2019

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम. आई. एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1282 भोपाल, दिनांक 08/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-> अलीराजपुर
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक->
जिला- अलीराजपुर, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.-टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.-टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर..........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1283 भोपाल, दिनांक 08/05/ 2019
प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1280 भोपाल, दिनांक 08/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी->
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक-> विदिशा,
जिला- विदिशा, मध्यप्रदेश

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(हस्ताक्षर) 8/5

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल-2/2019/1281 भोपाल, दिनांक 08/05/2019

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम. आई. एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

(हस्ताक्षर) 8/5

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1278 भोपाल, दिनांक 08/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी→
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक→ सीहोर
जिला– सीहोर, मध्यप्रदेश

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(हस्ताक्षर) 4/5

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/(शिका)/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1279 भोपाल, दिनांक 08/05/ 2019

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई. एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर।

(हस्ताक्षर) 4/5

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1276 भोपाल, दिनांक 08/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी→
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक→राजगढ़
जिला–राजगढ़, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क्र. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर..........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/(शिका)/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1277 भोपाल, दिनांक 08/05/ 2019
प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम. आई. एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1274 भोपाल, दिनांक 08/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी→
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक→रायसेन,
जिला-रायसेन, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1275 भोपाल, दिनांक08/05/2019
प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1272 भोपाल, दिनांक 08/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक होशंगाबाद,
जिला– होशंगाबाद, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(हस्ताक्षर) 4/5

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/(शिका)/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1273 भोपाल, दिनांक 08/05/ 2019

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

(हस्ताक्षर) 4/5

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1270 भोपाल, दिनांक 08/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी→
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक→ हरदा,
जिला–हरदा, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/(शिका)/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1271 भोपाल, दिनांक 08/05/ 2019

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1268 भोपाल, दिनांक 08/05/2019
प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी->
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक-> बैतूल
जिला- बैतूल, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपंये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1269 भोपाल, दिनांक 08/05/ 2019

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1266 भोपाल, दिनांक 08/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी→
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक→ भोपाल
जिला– भोपाल, मध्यप्रदेश

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क्र./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क्र./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क्र./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क्र./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क्र./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क्र./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क्र. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1267 भोपाल, दिनांक 08/05/ 2019
प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1264 भोपाल, दिनांक08/05/ 2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी→ विदिशा
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक→
जिला– विदिशा, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका1/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1265 भोपाल, दिनांक 08/05/ 2019

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1262 भोपाल, दिनांक 08/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-> सीहोर

सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक->

जिला- सीहोर, मध्यप्रदेश

विषय— सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.-टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ—1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.-टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/- (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.-टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र./4/(शिका)/संचा. स्वा. से./सेल-2/2019/1263 भोपाल, दिनांक 08/05/2019

प्रतिलिपि :—

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1260 भोपाल, दिनांक 08/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी → राजगढ़
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक →
जिला-राजगढ़ मध्यप्रदेश

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(हस्ताक्षर) 8/5
(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1261 भोपाल, दिनांक 08/05/2019
प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर।

(हस्ताक्षर) 8/5
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1258 भोपाल, दिनांक 08/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-> रायसेन
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक->
जिला-रायसेन, मध्यप्रदेश

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयांतर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/(शिका)/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1259 भोपाल, दिनांक 08/05/ 2019
प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1256 भोपाल, दिनांक 08/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-> होशंगाबाद
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक->
जिला- होशंगाबाद मध्यप्रदेश

विषय- सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.-टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ-1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.-टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है; उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/- (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.-टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1257 भोपाल, दिनांक 08/05/ 2019
प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1254 भोपाल, दिनांक 08/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी→ हरदा
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक→
जिला– हरदा, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर..........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/1255 भोपाल, दिनांक 08/05/ 2019

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1252 भोपाल, दिनांक 08/05/ 2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी→ बैतूल
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक→
जिला- बैतूल, मध्यप्रदेश।

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1253 भोपाल, दिनांक 08/05/ 2019

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
पंचम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र.4/शिका/संचा. स्वा. से./सेल.2/2019/1250 भोपाल, दिनांक 08/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी→ भोपाल
सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक→
जिला– भोपाल, मध्यप्रदेश

विषय– सप्लायरों को किये गए भुगतानों पर काटे गए वैट एवं जी.एस.टी.–टी.डी.एस. को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ–1. म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1537/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 07.07.2018
2.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./1847/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 09.08.2018
3.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2129/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./का.प्र./2018 दिनांक 06.09.2018
4.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2400/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 05.10.2018
5.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./2529/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 18.10.2018
6.म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क./3180/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 10.12.2018
7.प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. का पत्र क. 1105 दिनांक 01.03.2018

विषयान्तर्गत म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको सप्लायरों के देयकों से काटे गए वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने और सप्लायरों को तत्संबंधी कटौत्रा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभिन्न समीक्षा बैठकों में भी आपको निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में यह पुनः स्पष्ट कर लें कि प्रत्येक माह में जी.एस.टी. की कटौती की गई राशि आगामी माह की 10 (दस) तारीख तक जमा करना एवं जी.एस.टी. रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है तथा विलंब की स्थिति में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है। पेनाल्टी हेतु आप डी.डी.ओ. के रूप में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इस हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासीक्यूशन की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों एवं प्रावधानों के बावजूद भी आपके द्वारा सप्लायरों से काटे गये वैट तथा जी.एस.टी.–टी.डी.एस. की राशि को शासकीय खाते में जमा करने एवं सप्लायरों को कटौत्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अनुचित एवं आपत्तिजनक है। आपकी उपरोक्त लापरवाही एवं उदासीनता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के उचित एवं वैध आदेशों की अवहेलना की गई है जोकि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i), (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

निरंतर.........02

अतः उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपके विरूद्ध तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? इस संबंध में आप अपना पक्ष दिनांक 27.05.2019 को समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.4/शिका./संचा. स्वा. से./सेल.2 /2019/125 भोपाल, दिनांक 08/05/ 2019

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, शिकायत (गजटेड), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश